

बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक- 02/रेगु-02-7025/2025- 153 स्वी०/CC/पटना, दिनांक
प्रेषक,

02 जून, 2026

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय :- मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, विषयशीर्ष-33 01 आर्थिक सहायता अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल उपबंधित राशि मो० 46,99,98,000.00 (छियालीस करोड़ निनानवे लाख अनठानवे हजार) रूपये मात्र में से मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण द्वारा 11500 TCD से 13000 TCD तक क्षमता विस्तारीकरण पर हुए अचल पूँजी निवेश पर प्रोत्साहन अनुदान की राशि मो० 8,40,00,000.00 (आठ करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र निकासी, व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय राज्यादेश संख्या-686 स्वी०/CC दिनांक-17.02.2026 के क्रम में मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल उपबंधित राशि मो० 46,99,98,000.00 (छियालीस करोड़ निनानवे लाख अनठानवे हजार) रूपये मात्र में से मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण द्वारा 11500 TCD से 13000 TCD तक क्षमता विस्तारीकरण पर हुए अचल पूँजी निवेश पर प्रोत्साहन अनुदान की राशि मो० 8,40,00,000.00 (आठ करोड़ चालीस लाख) रूपये मात्र निकासी, व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-686 स्वी०/CC दिनांक-17.02.2026 द्वारा मो० 8,40,00,000.00 (आठ करोड़ चालीस लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के द्वारा रोक के कारण इस राशि की निकासी नहीं की जा सकी। अतएव उक्त राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि कुल 8,40,00,000.00 (आठ करोड़ चालीस लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, तहत् वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल उपबंधित राशि मो० 46,99,98,000.00 (छियालीस करोड़ निनानवे लाख अनठानवे हजार) रूपये में से निम्नवत् विकलनीय होगा:-

विपत्र कोड	स्वीकृत राशि (रूपये में)
सामान्य श्रेणी मद में मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष-राज्य योजना, लघुशीर्ष-201-चीनी, उपशीर्ष-0103, विषयशीर्ष-3301- आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-45-2852082010103	6,94,68,000.00
अनुसूचित जाति श्रेणी मद में मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष-राज्य योजना, लघुशीर्ष-789-चीनी, उपशीर्ष-0101, विषयशीर्ष-3301- आर्थिक सहायता, विपत्रकोड-45-2852087890101	1,34,40,000.00
अनुसूचित जन जाति श्रेणी मद में मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, समूहशीर्ष-राज्य योजना, लघुशीर्ष-796-चीनी, उपशीर्ष-0102, विषयशीर्ष-3301- आर्थिक सहायता, विपत्रकोड-45-2852087960102	10,92,000.00
कुल :-	8,40,00,000.00

4. वित्त विभाग के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 अन्तर्गत सामान्य श्रेणी मद में मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, विषयशीर्ष-3301-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-45-2852082010103 में कुल उपबंधित राशि मो० 19,23,98,000 का 33 प्रतिशत अर्थात् 6,34,91,340.00 रुपये की निकासी की जा चुकी है। अतएव अनुसूचित जाति श्रेणी मद से मो० 1,34,40,000.00 रु० एवं अनुसूचित जन जाति श्रेणी मद से मो० 10,92,000.00 रुपये अर्थात् कुल मो० 1,45,32,000.00 (एक करोड़ पैंतालीस लाख बत्तीस हजार) रुपये उपलब्ध राशि से निकासी की जायेगी। शेष 6,94,68,000.00 (छः करोड़ चौरानवे लाख अड़सठ हजार) रुपये की राशि की निकासी/भुगतान बंधेज के शिथिलीकरण/प्रथम अनुपूरक से प्राप्त होने वाली राशि के उपरान्त सामान्य श्रेणी से की जायेगी।

5. उक्त राशि की निकासी विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण को उनके बैंक खाते **SBI, Harinagar Branch, IFS Code- SBIN0002942, Cash Credit A/c No. 11433398177** में Electronic transfer/CFMS के माध्यम से सीधे अन्तरण द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

6. विभागीय राज्यादेश संख्या-686 स्वी०/CC दिनांक-17.02.2026 द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम एवं शर्तें यथावत रहेगी।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-02/रेगु०-02-7025/2025 के पृष्ठ-45/टि० पर प्राप्त है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत की जा रही है। वित्त विभाग के पत्रांक-2561 (वि०) 2 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 02/रेगु०-02-7025/2025- 153 स्वी०/CC /पटना, दिनांक 02 जून, 2026
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबंधक, मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 02/रेगु०-02-7025/2025- 153 स्वी०/CC /पटना, दिनांक 02 जून, 2026
प्रतिलिपि- विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा/लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 02/रेगु०-02-7025/2025- 153 स्वी०/९ /पटना, दिनांक 02 जून, 2026
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग
विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक- 02/रेगु०-02-7025/2025- 153 स्वी०/९/पटना, दिनांक 02 जून, 2026
प्रतिलिपि-आई. टी. प्रबन्धक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु
सूचनार्थ प्रेषित।


ईखायुक्त, बिहार।